FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

छिरताराम बनाम बाबूलाल वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111, 128 RLRAct नं. 358/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/12/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/12/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/01/2022 को पेश हो।	

04/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु.

प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि खेत मेड़ लाई हुई है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़े व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी ~~भू~~ अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की ~~पक्की~~ नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1574 दिनांकः– 4/1/22

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. किरताराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 3 जाति देवासी, निवासी कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. बाबुलाल पुत्र रावताराम वगैरा 11 जाति देवासी, निवासी कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 358 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – कोसरिया, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 430 / 2, 34 रकबा क्रमशः 36.7124, 2.6940 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1575-79 दिनांकः– 4/1/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरताराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 3
4. विप्रार्थी श्री बाबुलाल पुत्र रावताराम वगैरा 11
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु